न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 115/2021

आरसीएमएस नं. 2021/115

1. रामचन्द्र पुत्र स्व.श्री लाधूराम आयु 70 वर्ष जाति जाट (लोर)
2. हरी सिंह पुत्र स्व.श्री भानीराम आयु 50 वर्ष जाति जाट (मोठसरा)
3. कैलाश पुत्र स्व.श्री चानणमल आयु 47 वर्ष जाति कलाल
4. जयवीर पुत्र श्री लीलाधर आयु 30 वर्ष जाति जाट (बिजारणियां)
   निवासीगण डूंगराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

—–अपीलांट

बनाम

1. राजेश पुत्र स्व.श्री भंवरलाल पुत्र स्व.श्री लाधूराम जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड नम्बर–9, ममेरा रोड़, गर्ल्स कॉलेज व पशु चिकित्सालय के पीछे, ऐलनाबाद तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा–125102
2. सुभाष पुत्र स्व.श्री महावीर पुत्र स्व.श्री लाधूराम जाति ब्राहम्ण निवासी रेलवे फाटक के पास, दिवाकर इण्डस्ट्रीज के सामने, ऐलनाबाद तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा–125102
3. प्रवीण पुत्र स्व.श्री रामनिवास पुत्र स्व.श्री लाधूराम जाति ब्राहम्ण निवासी हाजीपुरा बास, भादरा जिला हनुमानगढ़।

—– रेस्पोडेंट/वारिसान मूल आवंटी लाधूराम/वादी

4. अमीलाल पुत्र श्री रामजीलाल जाति जाट
5. रामपत पुत्र श्री मनसुखराम जाति जाट
6. महावीर पुत्र स्व.श्री सुरजाराम जाति ब्राहम्ण
7. विनोद कुमार पुत्र श्री राचमनद्र जाति जाट

} निवासी डूंगराना तहसील तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

—– रेस्पोडेंट/क्रेतागण

8. तहसीलदार (राजस्व), भादरा, तहसील भादरा [illegible] मानगढ़।

—– रेस्पोडेंट/प्रतिवादी

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान का[illegible]
विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 11.05.1979 प्र. सं0 17/[illegible]8
अनवान लाधूराम बनाम सरकार
द्वारा सहायक जिलाधीश नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.13 13:08:54 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

उपस्थितिः–

श्री लालचन्द वर्मा, अभिभाषक अपीलार्थी

श्री विजय कोशिक , अभिभाषक रेस्पोडेंट

श्री राजेश कौशिक राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 सं0 8

निर्णय दिनांक 23.6.22

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 3 के पूर्वज स्व.श्री लाधूराम ब्राहम्ण ने बतौर वादी वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 व 188 आरटीए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमें कथन किया कि ग्राम डूंगराना तहसील भादरा एब बहुत बड़ा गांव है। इस गांव में बीकानेर स्टेट के समय से ही जोहड़ के पायतन की भूमि तत्कालीन खसरा नम्बर 292 मिन में 15 बीघा 15 बिस्वा व खसरा नम्बर 289 मिन में 5 बीघा 5 बिस्वा कुल 21 बीघा राजस्व अभिलेख में पायतन दर्ज थी जो खसरा परिवर्तन होने पर भू–प्रबंध विभाग ने भू–प्रबंध सम्वत 2019 में नवीन खसरा नम्बर 494 में 21 बीघा के रूप में पायतन दर्ज किया। वादी स्व.श्री लाधूराम ब्राहम्ण ने उक्त भूमि में से खसरा नम्बर 289 मिन की 5 बीघा भूमि उप जिलाधीश नोहर के आदेश क्रमांक 1508 दिनांक 05.11.1971 के अन्तर्गत 10 वर्ष के लिये राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि के आवंटन) नियम 1970 के अन्तर्गत आवंटन करवा ली जबकि पायतन की भूमि के सम्बंध में उसे आवंटन करवाने का अधिकार नहीं था। उक्त पायतन की भूमि पर इस आवंटन के आधार पर काबिज होने के कारण उसके विरूद्व तावान व बेदखली की कार्यवाही प्रस्तावित होने पर उसने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आशय की घोषणा हेतु दिनांक 28.11.1977 को वाद पत्र प्रस्तुत किया कि साबिका खसरा नम्बर 289/2 की 5 बीघा भूमि जो हाल खसरा नम्बर 494 तादादी 21 बीघा में पैमूद की गई है, उसकी गैर खातेदारी भूमि है तथा भू–प्रबंध विभाग द्वारा इस भूमि को बतौर पायतन अंकित किये गये इन्द्राज गलत व बेबुनियाद है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद पत्र अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 11.05.1979 के अन्तर्गत डिक्री किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील धारा 96 सीपीसी एवं धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र के साथ पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि साबिक खसरा नम्बर 289 मिन की 5 बीघा भूमि पायतन की भूमि थी तथा पायतन की भूमि को अन्य प्रयोजन हेतु न तो उपयोग में लिया जा सकता व न ही आवंटन किया जा सकता। राज[illegible] नम्बर 494 की 21 बीघा के रूप में पायतन दर्ज थी। वादी स्व.लाधूराम ने [illegible] डिक्री की आड में इन्तकाल संख्या 144 के जरिये यह भूमि [illegible] गैरखाते[illegible] दर्ज करवाई। ऐसा आवंटन प्रारम्भतः ही अवैध व शून्य था। प्र[illegible] 2019 में नवीन खसरा नम्बर 494 में पैमूद हो गई तथा वादी लाधूराम को हुए आव[illegible] दिनांक 05.11.1971 के समय पायतन दर्ज होने के कारण आवंटन योग्य नहीं थी तथा वादी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह साबित करने में असफल रहा है कि साबिका खसरा नम्बर 289 मिन की 5

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.13 13:08:54 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

बीघा भूमि आराजीराज दर्ज हो और सैटलमेंट विभाग ने इस भूमि को गलत रूप से खसरा नम्बर 494 में पैमूद की हो। अपीलांट ने धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के सम्बंध में बहस कर निवेदन किया कि अपीलांट ग्राम डूंगराना का निवासी है तथा गांव डूंगराना में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ पायतन की भूमि खसरा नम्बर 292 मिन में 15 बीघा 15 बिस्वा व खसरा नम्बर 289 मिन में 5 बीघा 5 बिस्वा साबिका खसरा में पैमूद थी। यह भूमि गांव डूंगराना के जोहड़ की पायतन भूमि है जिसमें बरसात का पानी एकत्रित होकर जोहड़ में आता है जिसे गांव के लोग व मवेशी पीने के लिए उपयोग में लेते हैं। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से अपीलांट व अन्य ग्रामवासियों के हित प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं तथा निवेदन किया कि अपीलांट का धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे। अपीलांट ने धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए निवेदन किया कि वादी स्व.लाधूराम ने उक्त भूमि में से 5 बीघा भूमि का गलत व विधि विरूद्व रूप से आवंटन करवा लिया तथा राजस्व अभिलेख में दर्ज पायतन की इस भूमि के सम्बंध में अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय व डिक्री उिदनांक 05.11.1979 के आधार पर गैर खातेदार होने की घोषणा की है। अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं थी। उक्त भूमि पर ग्रामवासियों की अर्सा 50 वर्ष पूर्व बनी हुई कुण्ड मौजूद है। वादी लाधूराम ब्राहम्ण ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित होने के बावजूद उक्त पायतन की भूमि में बने कुण्ड के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की तथा अपने पक्ष में हुए आवंटन व अपीलाधीन डिक्री को छुपाए रखा। रेस्पोडेंट संख्या–7 ने इस 5 बीघा भूमि में से 19.06.2019 को 1 बीघा भूमि खरीद कर इस 1 बीघा भूमि में से .180 हैक्टेयर भूमि को आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करवाकर गत् माह जून 2021 में इस पायतन की भूमि में निर्मित पुराने कुण्ड के ईर्द गिर्द निर्माण शुरू किया तब अपीलांट व अन्य ग्रामवासियों ने विरोध किया तब रेस्पोडेंट संख्या–7 ने यही भूमि अपनी खरीदशुदा होना प्रकट किया जिस पर अपीलांट ने पड़ताल की तथा प्रमाणित प्रतिलिपियां हासिल की तो सर्वप्रथम 13.07.2021 को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई इससे पूर्व अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की कोई जानकारी नहीं थी अपीलांट ने दिनांक 11.05.1979 से दिनांक 13.07.20231 तक की अवधि का ज्ञान न होने के कारण इस विलम्ब को माफ कराते हुए अपील अन्दर मियाद ग्रहण करने का निवेदन किया तथा अन्त में निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त फरमाया जावे। अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन में आरबीजे–2002 पेज 610, आरआरडी 1992 पेज 388, आरआरडी 2005 पेज 215, आरआरडी 1988 पेज 98, आरआरडी 1975 पेज 137, डीएनजे 2004 (3) पेज 1245, आरआरटी 2019 (1) पंज 386, 398, 651, आरआरटी 2009 (2) पेज 1304 प्रस्तुत किये।

4. रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में निवे[illegible] किया कि [illegible] नम्बर 289 जमाबंदी सम्वत 2015–2018 में 15 बीघा 13 बिस्वा बंजड़ मुम[illegible] बीघा गैर मुमकिन आराजी मकबूजा राज दर्ज थी। श्रीमान [illegible]धीश नोह[illegible] पत्र दिनांक 05.11.1971 को इसी खसरा में यानि 289/2 ता[illegible] गारखा ब्राहम्ण दर्ज है जिसका इन्द्राज गिरदावरी में मौजूद है तथा इससे पूर्व सम्वत 2011 से 2014 में उक्त आराजी मकबूजा राज दर्ज रही है तथा कभी भी उपरोक्त भूमि पायतन के रूप में दर्ज नहीं रही। भू–प्रबंध विभाग ने गलत रूप से आराजी मकबूजा राज भूमि को

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.13 13:08:54 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

पायतन दर्ज करवा दिया। जबकि भू–प्रबंध विभाग को मकबूजा राज भूमि को पायतन दर्ज करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था। ऐसी प्रविष्टि प्रारम्भतः ही शून्य है। स्व.लाधूराम आवंटन के समय से ही प्रश्नगत भूमि पर काबिज रहा है तथा धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए निवेदन किया कि प्रश्नगत भूमि से अपीलांट के किसी प्रकार के हित प्रभावित नहीं होते। प्रश्नगत भूमि पूर्व में लाधूराम के आधिपत्य व धारण में रही है तथरा उसकी मृत्यु के पश्चात उसके वारिसों के आधिपत्य व धारण मे रही है जिसका ज्ञान अपीलांट को शुरू से ही है तथा अपीलांट संख्या 2 ता 4 स्व.लाधूराम को भूमि आवंटन के समय उत्पन्न ही नहीं हुए थे। 50 वर्षों बाद अपीलांट ने प्रश्नगत भूमि को लाधूराम को आवंटित होने से आज प्रभावित होना मात्र द्वेषतावश अपीलाधीन निर्णय को चुनौती दी है। अपीलांट पीड़ित पक्षकार नहीं है तथा दफा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए निवेदन किया कि भू–प्रबंध विभाग को प्रश्नगत भूमि पायतन दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं थी ऐसी प्रविष्टि प्रारम्भतः शून्य है। प्रश्नगत भूमि काश्त होती रही है। इस सम्बंध में न्यायालय का ध्यान गिरदावरी सम्वत 2031–2034, सम्वत 2037–2038, 2039–2046, 2047–2054, 2055–2058, 2059–2066 की ओर ध्यान आकर्षित करवाया जिसमें प्रश्नगत भूमि मौके पर काश्त होने का उल्लेख है तथा यह भी निवेदन है कि प्रश्नगत भूमि का स्व.लाधूराम के नाम आवंटन होने एवं कुछ भूमि 1985 में विक्रय होने सम्बंधी एवं अभिलेख में अमलदरामद की समस्त जानकारी अपीलांट को रही है। रेस्पोडेंट ने दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की है जबकि अपीलांट ने मात्र मौखिक कथन किये हैं। अर्सा 42 वर्ष पश्चात् अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री को चुनौती दी गई है तथा प्रार्थना पत्र अपीलांट खारिज करने का निवेदन किया तथा आदेश 41 नियम 27 जाब्ता दीवानी पर बहस करते हुए निवेदन किया कि जमाबंदी सम्वत 2011से 2014 में प्रश्नगत भूमि पायतन दर्ज नहीं थी और उपरोक्त भूमि पर काश्त होती रही है। इस सम्बंध में खसरा गिरदावरी की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत करना चाहता है जो रिकार्ड पर ली जावे तथा अन्त में निवेदन किया कि अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे तथा अपनी बहस के समर्थन में आरआरटी 2008 (1) पेज 151, आरआरडी 2005 पेज 211 व आरआरटी 2015 (1) पेज 232 व आरबीजे 2019 पेज 20, आरआरडी 1989 पेज 500 प्रस्तुत किये।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. उक्त अपील अर्सा 42 वर्ष पश्चात प्रस्तुत हुयी है इसलिये दफा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना न्यायोचित है। अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में गत् माह जून 2021 में अभिकथित पायतन की भूमि में निर्मित पुराने कुण्ड के ईर्द गिर्द निर्माण करने के कथन किये हैं तथा अपीलांट व ग्रामवासियों द्वारा विरोध करने पर रेस्पोडेंट संख्या–7 द्वारा यह भूमि खरीदशुदा व संपरिवर्तित होना प्रकट होने पर इस भूमि के कागजात की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर सर्वप्रथम दिनांक 13.07.2021 को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री जारी होने के कथन किये हैं जबकि रेस्पोडेंट ने अपने जवाब अधीन पत्र व बहस में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री का ज्ञान अपीलांट को शुरू से होने के कथन किये तथा प्रश्नगत भूमि पर मौके पर काश्त होती रही होने के कथन किये तथा इस सम्बंध में गिरदावरियां सम्वत 2031–2034, सम्वत 2037–2038, 2039–2046, 2047–2054, 2055–2058, 2059–2066 प्रस्तुत की है। इन गिरदावरियों का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट है

Signature Not Verified
Digitally signed by Karnar Singh Poonia
Date: 2023.07.13 13:08:54 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

कि उपरोक्त भूमि पर पूर्व में काश्त होती रही है। अपीलांट ने मात्र मौखिक कथन किये हैं जबकि रेस्पोडेंट ने दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की है। अपीलांट ने दिनांक 11.05.1979 से दिनांक 13.07.2021 के बीच के समय के सम्बंध में कोई संतोषजनक तथ्य प्रकट नहीं किये हैं तथा न ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की है। उक्त परिस्थितियों में अपीलांट का धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.6.22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/6/22

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Karrar Singh Poonia
Date: 2023.07.13 13:08:54 IST
Reason: SelfAttested